कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 11198-11200 /जी–329-II/2026–27 दिनांक–17 अक्टूबर 2026

–: कार्यालय ज्ञाप :–

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभागान्तर्गत समस्त जनपदों में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, आयुष विंगों एवं पंचकर्म केन्द्रों के सफल संचालन हेतु नव नियुक्त फार्मेसी अधिकारी/पंचकर्म सहायकों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया था। उक्त के क्रम में कतिपय नव नियुक्त फार्मेसी अधिकारी/पंचकर्म सहायकों द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

अतः उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–2607/XXX(2)/2005 दिनांक–26 अगस्त 2005 मे निहित प्राविधानानुसार निदेशालय स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णीत हुआ है कि नव नियुक्त फार्मेसी अधिकारी/पंचकर्म सहायकों को उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के मध्य नजर रखते हुये अन्तिम बार 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। उक्त समय वृद्धि के उपरान्त कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु किसी प्रकार से पुनः समय वृद्धि नहीं किया जायेगा एवं कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(डा0 आर0पी0सिंह)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तराखण्ड।
3– श्री नन्द किशोर सती, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विभागीय वेवसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4– सम्बन्धित कार्मिक।
5– गार्ड फाईल।

(डा0 आर0पी0सिंह)
निदेशक